मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक/1)30/1497/2016/ब–1/चार भोपाल,दिनॉक 17/11/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– वार्षिक वित्त विवरण वर्ष 2017–18 से आयोजना एवं आयोजनेतर के मध्य विभेदीकरण की समाप्ति के संबंध में।

मध्यप्रदेश सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) में वर्तमान में आयोजना तथा आयोजनेतर मद के रूप में पृथक–पृथक बजट अनुमान रखे जाते रहे हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजना तथा आयोजनेतर के इस विभेदीकरण को समाप्त करने के अनुरूप ही वर्ष 2017–18 से मध्यप्रदेश राज्य में भी उक्त विभेदीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. आयोजना तथा आयोजनेतर मदों को समेकित किये जाने के कारण राज्य शासन के व्यय के प्रावधानों को निम्नानुसार मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगाः–

(क) स्थापना एवं अन्य अनिवार्य व्यय के प्रावधानों (ब्याज भुगतान, ऋण वापसी, पेंशन, पेंशन अंशदान, एन्युटी भुगतान, अन्तर लेखांतरण समायोजन, डिकी धन, कर, रायल्टी भुगतान,मंत्रियों, विधायकों एवं शासकीय सेवकों के वेतन भत्ते)। इस वर्ग में पुलिस, राजस्व, न्याय प्रशासन व सामान्य सेवायें सम्बन्धी स्थापना व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित संचालनालय व संभागीय कार्यालयों के प्रशासकीय व्यय के प्रावधान शामिल होंगे।

(ख) नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को समनुदेशन।

(ग) केन्द्र प्रायोजित एवं अन्य प्रतिबद्ध स्वरूप की योजनाओं से संबंधित व्यय के प्रावधान।

(घ) उपरोक्त श्रेणी में न आने वाले अन्य समस्त व्यय के प्रावधान।

3. वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न विभागों/क्षेत्रों के लिए प्रशासकीय विभागों द्वारा ही मध्यकालीन व्यय की रूपरेखा (MTEF) तैयार की जायेगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों/ योजनाओं के लिए धनराशि की आवश्यकता का वास्तविक आंकलन किया जा सके तथा नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता का भी निर्धारण किया जा सके। मध्यकालीन व्यय की रूपरेखा (MTEF) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमानित व्यय के पुनरीक्षित अनुमान, पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया वास्तविक व्यय, आगामी वित्तीय वर्ष, जिसके लिए बजट अनुमान का निर्धारण किया जाना है, उसके लिये धनराशि की वास्तविक आवश्यकता तथा उसके पश्चात के दो वर्षों के लिए आवश्यक धनराशि के अनुमान तैयार किया जायेगा।

4. अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए कियान्वित विकास योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत पृथक–पृथक उपस्कीम (sub-scheme) के रूप में इन वर्गों के कल्याण हेतु बजट अनुमानों को प्रदर्शित किया जायेगा। बजट पुस्तिकाओं में इस हेतु किये जा रहे प्रावधान पृथक से मांग संख्या में न रखे जाकर संबंधित प्रशासकीय विभाग की मांग संख्याओं में ही शामिल किए जायेंगे। इन सभी उपस्कीम (sub-scheme) का समावेश करते हेतु अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु अनुमानित व्यय के प्रावधानों का विवरण देने के लिए पृथक खण्ड तैयार कर बजट साहित्य के रूप में विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

5. इन वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधानों का पृथक उल्लेख होने से अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग इन वर्गों के कल्याण के लिए व्यय की जा रही धनराशि का समुचित अनुश्रवण करेंगे।

6. बजट के लिये नवीन उपस्कीम (sub-scheme) एवं नवीन सेवाओं के लिये प्रशासकीय अनुमोदन की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किया जायेगा । वर्तमान में राज्य सरकार में प्रचलित जेण्डर बजट/कृषि बजट संबंधी व्यवस्था पूर्ववत निरंतर रहेगी।

7. आयोजना तथा आयोजनेतर के मध्य विभेदीकरण समाप्त करने के फलस्वरूप वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, वित्तीय/कोष संहिता एवं अन्य वित्त/लेखा संबंधी नियमों में संशोधन, पुनर्विनियोजन संबंधी निर्देश पृथक से जारी किये जाएगें।

वर्ष 2017–18 की बजट संबंधी कार्यो के सम्पादन हेतु उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत

(अजीत प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.कमांक/ 1131 /1497/2016/ब–1/चार भोपाल, दिनॉक 17/11/2016

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय,मध्यप्रदेश, इंदौर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश,भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश,भोपाल।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश,भोपाल।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा तथा पेंशन, मध्यप्रदेश।
12. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. समस्त प्राचार्य,लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग